

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

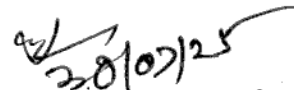
वाहन नीलाम विज्ञप्ति

क्रमांक.....9/विधिक/विक्रय समिति/2025

दमोह दिनांक-20/07/2025

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, हटा न्यायालय परिसर में स्थित अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रमांक **एम.पी.-02 एच.सी.-0161** महिन्द्रा जायलो कार की निष्प्रयोजित राशि **रुपये 1,60,000/-** मात्र (जहां है, जिस स्थिति में है) उक्त शासकीय वाहन को दिनांक-**18.08.2025** को प्रातः **11:00** बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नाम से शासकीय वाहन हेतु देय राशि **3,500/-रुपए** मात्र का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार वाहन की नीलामी की शर्तों हेतु विभाग की अधिकारिक वेब साईड <https://damoh.dcourts.gov.in/> एवं <https://district.mphc.gov.in/> की वेब साईड चेक कर सकते हैं।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

वाहन नीलाम विज्ञप्ति

निविदा की शर्त:-

01. शासकीय वाहन क्रमांक **एम.पी.-02 एच.सी.-0161** महिन्द्रा जायलो तहसील न्यायालय हटा जिला-दमोह निम्नयोजित राशि रुपये 1,60,000/- मात्र (शासकीय बोली) नियत है।
02. उक्त अनुपयोगी/अपलब्ध शासकीय वाहन की नीलामी में लेने/बोली लगाने हेतु शासकीय वाहन हेतु अमानत राशि रुपये 3,500/- मात्र (रुपये तीन हजार पांच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नाम देय, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
03. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, अराफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गयी पूरी राशि जमा करने के पश्चात् लौटाया जावेगा।
04. किसी भी बोली को बिना कारण बताये पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा, "विभागीय नीलामी समिति" दमोह को प्राप्त होगा।
05. अतः नियत दिनांक के पूर्व संबंधित बोलीकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार वाहन का अवलोकन उपरोक्तानुसार स्थल पर किया जा सकेगा।
06. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
07. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
08. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के नाम पर देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगा।
09. संबंधित शासकीय वाहन क्रमांक **एम.पी.-02 एच.सी.-0161** महिन्द्रा जायलो तहसील न्यायालय हटा परिसर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर हटा/हटा से कार्यालयीन दिनांक/राय में संपर्क किया जा सकता है।
10. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को कय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्त स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।
11. अनुपयोगी शासकीय वाहनों के विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।
12. वाहन क्रमांक चेचिस नंबर, इंजिन नंबर का मिलान निविदाकार को नीलामी स्थान पर ही करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।
13. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित विभागीय नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
14. हटा न्यायालय परिसर में स्थित शासकीय वाहन क्र. **एम.पी.-02 एच.सी.-0161** महिन्द्रा जायलो कार के संबंध में पूछताछ हेतु श्री मुकेश सोनी (नायब नाजिर, हटा) के दूरभाष नंबर **9993309993** पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)